CNR No. UPBU10-002458 -2022

न्या0 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अनूपशहर बुलन्दशहर।
जमानत :- 914 सन 2022
सरकार.....बनाम.....प्रीतम ।

13.10.2022

यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त प्रीतम के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 200 सन 2019, अन्तर्गत धारा 60/62 आवकारी अधिनियम, थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के अभियोग में प्रस्तुत किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वह निर्दोष हैं, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, अभियुक्त पर उपरोक्त वाद की कोई तामील किसी प्रकार की नहीं हो सकी थी। अभियुक्त ने माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में ही दी गयी जमानत का कोई द्रुपयोग किसी प्रकार से नहीं किया है। अभियुक्त ने माननीय न्यायालय के किसी आदेश का कोई उलंघन जानबूझकर नहीं किया है। अभियुक्त भविष्य में अपनी नीयत तारीख पर समय से उपस्थित आता रहेगा। अभियुक्त सीधा-सादा मजदूरी पेशा व्यक्ति है। जिसके भागनेव फरार होने का कोई अन्देशा नहीं है। वह उचित जमानत देने को तैयार है। उन्हें जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का विरोध किया गया है।

अभियुक्त दिनांक 10.10.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अतः अभियुक्त द्वारा बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(परविन्द कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अनूपशहर, बुलन्दशहर।
JO. Code U.P1837

जय चन्द
आशुलिपिक